कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर,(छ.ग.)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–87/ 2018 / 618 अम्बिकापुर, दिनांक 12/02/18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल

विषय :– राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 (पुराना रा.रा. क्रमांक–78) के मध्यप्रदेश सीमा मनेन्द्रगढ़ से सूरजपुर (डुमरिया) कि.मी. 245.000 से 331.000 तक का 2– लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य कारिडोर योजना।
पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/21393/2016

संदर्भ :– (1) अपर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–645 / 2454 दिनांक 05.10.2016

(2) वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 47 दिनांक 05.01.2018

....

उपरोक्त वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 मध्यप्रदेश सीमा मनेन्द्रगढ़ से सूरजपुर (डुमरिया) तक का दो लेन मय पेव्हड सोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य रकबा– 36.99 हे. के प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र–02 द्वारा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत व्यपवर्तन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षण में निम्नानुसार कमियाँ पाई गई :–

(1) प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र–01 द्वारा कुल वनभूमि 36.99 हे. (मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि 27.300 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत 9.69 हे.) हेतु पंजीयन क्रमांक– FP/CG/ROAD/21393/2016 आबंटित करते हुए प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल को प्रस्ताव प्रसंस्कृत करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आपके संदर्भित पत्र–02 द्वारा इस कार्यालय को व्यपवर्तन प्रस्ताव के प्रेषण पत्र में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के प्रकरण में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि 27.300 हे. का ही उल्लेख करते हुए व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जबकि प्रकरण में आप नोडल अधिकारी हैं, उक्त हैसियत से व्यपवर्तन प्रकरण में मनेन्द्रगढ वनमण्डल में आवेदित वनभूमि 27.300 हे. के साथ–साथ कोरिया वनमण्डल में भी आवेदित वनभूमि 9.69 हे. को भी सम्मिलित कर / उल्लेखित करते हुए व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषण का पत्र प्रारूप प्रस्तुत करते।

आपके संदर्भित पत्र–02 द्वारा सिर्फ मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि का मुख्य पत्राचार में उल्लेख कर प्रस्ताव प्रेषित करना आधी–अधूरी जानकारी प्रेषित करने के समान है।

प्रकरण में समस्त पत्राचार आपके द्वारा नोडल अधिकारी के हैसियत से दोनों वनमण्डल में सम्मिलित वनभूमि का उल्लेख करते हुए भविष्य में पत्र प्रेषित करें।

(2) व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रस्तुत फार्म–ए, पार्ट–01 के पृ0 क्रमांक–09 में आवेदक संस्थान द्वारा B-2.1 में गैर वनक्षेत्र के विवरण तहत् मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 79.96 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 122.83 हे. कुल गैर वनक्षेत्र 202.79 हे. दर्शित है, जबकि चेक लिस्ट के बिन्दू क्रमांक–04 तहत् दिये गये गैर वनक्षेत्र के विवरण में आपके द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 13.621 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत 51.904 हे. की जानकारी दी गई है, जो कि अपने आप में विरोधाभास है। उक्त संबंध में गैर वनक्षेत्र के विवरण तहत् कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत लिये गये गैर वनक्षेत्र की सही जानकारी स्पष्ट करें।

(3) व्यपवर्तन प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रंमाक–05, जिसके तहत् प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया का मूल टोपो शीट 1:50000 के स्केल पर प्रस्तुत किया जाना है। उक्त चेक लिस्ट तहत् आपके द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया की दो टोप्पो सीट क्रमांक– 44 E 4 एवं 44 E 7 संलग्न किया गया है। प्रस्तुत मैप के परीक्षण में पाया गया कि रोड के सम्पूर्ण पाथ का उक्त दोनों मैप द्वारा प्रस्तुतीकरण पूर्ण नही हो रहा है। पाथ के पूर्ण होने में एक मैप 44 E 3 की आवश्यकता होगी, जो कि संलग्न नहीं है। प्रकरण में सड़क मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो सीट में पूर्ण परिलक्षित होने के संदर्भ में उक्त मैप 44 E 3 की प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न करें।

(4) व्यपवर्तन प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रंमाक–07 जिसके तहत् प्रपत्र–04 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। प्रपत्र–04 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत पृ0 क्रंमाक–74 एवं 84 में प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की संख्या 914 दी गई है, जबकि चेक लिस्ट क्रंमाक–12 वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र–अ एवं ब में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत पृ0 क्रमांक–172 में विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 974 दी गई है। दोनों जानकारियों में अंतर होने का कारण स्पष्ट करें।

(5) चेक लिस्ट क्रंमाक–12 जिसके तहत् वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र–अ एवं ब में दिया जाना है। जिसमें आपके द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल वनभूमि 27.45 हे. दी गई है। जबकि मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल वनभूमि 27.300 हे. है। दोनों में अंतर का कारण स्पष्ट करें।

(6) व्यपवर्तन प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–03, तहत् मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत स्थित वनभूमि के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के पृ0 क्रमांक–266 में आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति साईट क्वालिटी साल चतुर्थ 'अ' का वनक्षेत्र दर्शित किया गया है, जबकि आपके द्वारा चेक

लिस्ट क्रमांक–07, तहत् प्रपत्र–04 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि के प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का साईट क्वालिटी साल III एवं मिक्स – IV A दर्शित किया गया है। व्यपवर्तन प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का सही क्वालिटी क्लॉस दर्शित करें।

(7) व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रस्तुत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना पृ0 क्रमांक–248 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के पुनरीक्षित मानचित्र में वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः आपके संदर्भित पत्र–02, द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत व्यपवर्तन प्रस्ताव (04 प्रतियों में) मूलतः संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव तहत् पाई गई उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर पुनः व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–02 मय व्यपवर्तन प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

क्र0/मा.चि./न0क्र0–87/2018/619 अम्बिकापुर, दिनांक 12/02/18

प्रतिलिपि :–
(1) अ0प्र0मु0व0स0 (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(2) मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

I:\DM\DM 53.doc